विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या–31 / 2026
पंजीकरण तिथि–25.02.2026
निर्णय तिथि–06.05.2026

मै0 केसर मिनरल इंडस्ट्रीज — परिवादी
सुरेन्द्र सिंह(प्रबंधक)
ग्राम–हरिपुर पूर्णानन्द
पो0ओ0–अर्जुनपुर, गोरापड़ाव
बरेली रोड, हल्द्वानी
जिला–नैनीताल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
कमलवागांजा, हल्द्वानी।

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायत पत्र में कहा गया है कि वह सोप स्टोन पाउडर के निर्माता हैं। विद्युत भार का प्रयोग स्थापित पल्वरोईजर मशीन चलाने हेतु किया जाता हैं। दिनांक 29.04.2025 को पुराना मीटर MAKE-LNT, METER NO-11135491 को बदलकर नया स्मार्ट मीटर MAKE- GENUS METER NO-46000902 विभाग द्वारा लगाया गया।

स्मार्ट मीटर लगने के उपरान्त दिनांक 30.04.2025 से दिनांक 03.08.2025 तक निरन्तर त्रुटिपूर्ण / प्रोविजनल मासिक बिलों का प्राप्त होना (अवधि माह अप्रैल, 2025 से माह जुलाई, 2025 तक):

स्मार्ट मीटर लगने के उपरान्त माह अप्रैल, 2025 से माह जुलाई, 2025 तक की उपयोग अवधि के मासिक बिल त्रुटिपूर्ण प्राप्त होते रहे हैं। जिनका पूर्ण विवरण निम्नवत है।

1. माह अप्रैल, 2025 अवधि का PROVISIONAL BILL दिनांक 14.05.2025 को रु० 3,26,929.00 हेतु मीटर गुणांक 8 पर आधारित बिना CURRENT READING के जारी एवम् प्राप्त हुआ।

2. माह मई, 2025 अवधि का PROVISIONAL BILL दिनांक 20.06.2025 को रु० 3,93,870.00 हेतु मीटर गुणांक 8 पर आधारित बिना CURRENT READING के जारी एवम् प्राप्त हुआ।
3. माह अप्रैल, 2025 से माह जून, 2025 (3 माह) की अवधि का बिल दिनांक 10.07.2025 को रु० 5,31,426.00 हेतु मीटर गुणांक 300 पर आधारित (मीटर गुणांक 800 के स्थान पर) CURRENT READING दर्शाते हुये पूर्व में जारी बिल दिनांक 14.05.2025 एवम् दिनांक 20.06.2025 की विद्युत चार्जेज की धनराशि को समायोजित/कम करते हुये जारी एवम् प्राप्त हुआ।
4. माह जुलाई, 2025 अवधि का बिल दिनांक 03.08.2025 को रु० 48,36,580.00 हेतु मीटर गुणांक 300 पर आधारित (मीटर गुणांक 800 के स्थान पर) CURRENT READING दर्शाते हुये।

स्मार्ट मीटर लगने के उपरान्त 4 माह की अवधि का संशोधित अन्तिम बिल दिनांक 13.08.2025 को प्राप्त होना (माह अप्रैल, 2025 से माह जुलाई, 2025):

दिनांक 05.08.2025 को हमारे द्वारा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड (ग्रामीण) हल्द्वानी को उपरोक्त वर्णित क्रम संख्या 1 से 4 तक के बिलों में संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 05.08.2025 को जमा किया गया।

तदोपरान्त संशोधित/परिवर्तित/अन्तिम बिल दिनांक 13.08.2025 को माह अप्रैल, 2025 से माह जुलाई, 2025 (4 माह) तक की अवधि हेतु पुनः रु० 45,84,147.00 हेतु जारी एवम् प्राप्त हुआ।

इस प्रकार स्मार्ट मीटर लगाने के उपरान्त प्रथम बिल दिनांक 13.08.2025 को सुचारू रूप से तैयार एवम् जारी किया गया। तदोपरान्त दिनांक 02.09.2025 से नियमित मासिक बिल जारी एवम् प्राप्त हो रहे हैं।

माह अगस्त, 2025 से माह अक्टूबर, 2025 की अवधि के बिल दिनांक 02.09.2025, 08.10.2025, एवम् 04.11.2025 को जारी एवम् प्राप्त हुये।

उपरोक्त तीनो बिलों का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि माह अगस्त, 2025 से माह अक्टूबर, 2025 के मध्य उत्पादन मात्रा, विद्युत उपयोग के समय में निरन्तर कमी हुई है। जबकि प्राप्त बिलों में POWER FACTOR, LOAD FACTOR में निरन्तर कमी दर्शाने के कारण अधिक यूनिट की बिलिंग होने के कारण विद्युत लागत में वृद्धि हुई है।

माह नवम्बर, 2025 की अवधि का बिल अत्यधिक यूनिट, अत्यधिक बिल डिमांड, एवम् अत्यधिक बिल धनराशि का प्राप्त होना:

माह नवम्बर, 2025 की अवधि का बिल दिनांक 03.12.2025 को जारी एवम् प्राप्त हुआ। इस माह में पिछले महीनों की तुलना में सबसे कम उत्पादन 119.775 टन, सबसे कम विद्युत प्रयोग समय 60.00 घण्टे हुआ। जबकि इस माह का विद्युत बिल पिछले महीनों की तुलना में सबसे अधिक यूनिट/एनर्जी चार्जेज, अधिक बिलऐबल डिमांड/फिक्सड डिमांड चार्जेज (दुगनी दरों से चार्ज करते हुये) का प्राप्त हुआ। इस बिल को संशोधन हेतु हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 06.12.2025 को कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड (ग्रामीण) हल्द्वानी में जमा किया गया (प्रार्थना पत्र की छाया प्रति संलग्न

है)। परन्तु विभाग द्वारा आज दिनांक 24.02.2026 तक कोई संतोषजनक कार्यवाही / जवाब नहीं दिया गया है।

महोदय को अवगत कराना चाहते हैं कि वर्तमान में स्थापित स्मार्ट मीटर पुराने मीटर की तुलना में माह नवम्बर, 2025 के बिल में **POWER FACTOR** सबसे कम 0.44, **LOAD FACTOR** सबसे कम 6.12 आना, सर्वाधिक बिलऐबल डिमांड 667.52 आना, उपयोग समय सबसे कम 60 घंटे, उत्पादन मात्रा सबसे कम 119.775 टन, यूनिट की खपत 26436.80 (KVA) जो कि अधिक है, दिखा रहा है। जिस कारण अत्यधिक धनराशि के बिल प्राप्त हो रहे हैं। इन कारणों की तुलना पुराने मीटर की एक वित्तीय वर्ष 2024–25 की अवधि का संलग्न विस्तृत विवरण (ELECTRIC BILL ANALYSIS SUMMARY 2024–25) एवम् वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 की अवधि का संलग्न विस्तृत विवरण (ELECTRIC BILL ANALYSIS SUMMARY 2025–26) की संलग्न सूची से किया जा सकता है।

जबकि हमारे यहाँ 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम स्थापित है। जिससे फैक्ट्री की सभी लाइट उपकरण के लिए विद्युत उपयोग किया जाता है।

महोदय को अवगत कराना चाहते हैं कि सोप स्टोन पाउडर निर्माता कुमाऊं क्षेत्र में स्थित माइनों से सोप स्टोन लम्प्स खरीद कर सोप स्टोन पाउडर का निर्माण करते हैं। उत्तराखंड हाई कोर्ट द्वारा दिनांक 06.01.2025 से माइनिंग कार्य पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। माल उपलब्ध न होने के कारण दिन प्रतिदिन उत्पादन कम होता जा रहा है। जिससे निर्माता की आर्थिक स्थिति दिन पे दिन कमजोर होती जा रही है। ऐसे में आवश्यक खर्चे करना मुश्किल हो रहा है। ऐसी स्थिति में विद्युत विभाग द्वारा अधिक यूनिट के बिलों का जारी करना अत्यंत नुकसानदायक है। आज दिनांक 25 फरवरी 2026 तक सभी प्राप्त विद्युत बिलों का भुगतान किया जा चुका है। केवल नवम्बर 2025 माह की अवधि के बिल का शेष भुगतान रु० 2,00,000.00 बिल के संशोधित करने समय तक हेतु रोका गया है। महोदय से निवेदन है की बिल की शेष धनराशि रु० 2,00,000.00 हेतु स्थगन आदेश बिल के संशोधन समय तक जारी करने की कृपा करें ताकि विभाग द्वारा विद्युत कनेक्शन काटने की प्रक्रिया नहीं कर सके।

अतः महोदय से विनम्र निवेदन है कि माह नवम्बर, 2025 से जनवरी, 2026 तक के जारी / प्राप्त बिलों को वास्तविक उपयोग समय के प्रतिशत के आधार पर संशोधित कराने की कृपा करें। ताकि फर्म को सुचारू रूप से चलाया जा सके।

2. विपक्षी / विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 20.03.2026 में कहा गया है कि विद्युत संयोजन संख्या 390K000000971 (600 के०वी०ए०) केसर मिनरल्स इण्डस्ट्रीज के नाम से संचालित है।
    1. यह कि उपभोक्ता का बिल माह 03 / 2025 में MU के आधार पर निर्गत किया गया है।
    2. उपभोक्ता का मीटर दिनांक 29.04.2025 को स्मार्ट मीटर में परिवर्तित किया गया।
    3. माह 04 / 2025 का बिल NA के आधार पर औसत यूनिट्स पर निर्गत हुआ।

A) यह कि दिनांक 05/2025 का बिल NR के आधार पर औसत यूनिट्स पर निर्गत हुआ है।

B) यह कि माह 06/2025 का बिल नए स्मार्ट मीटर रीडिंग से दिनांक 31.03. 2025 से 30.06.2025 की अवधि का MU में निर्गत हुआ है। जो कि MF 300 पर निर्गत हुआ है, जिसमे की MF की त्रुटि की जानकारी में आयी।

C) यह कि माह 06/2025 के बिल में MF की त्रुटि को संशोधित किया गया एवं माह 07/2025 बिल (31.03.2025 से 31.07.2025) स्मार्ट मीटर की रीडिंग पर MU में निर्गत हुआ।

D) यह कि आगामी बिल 8 प्रेषित किये जा रहे है।

4. माह 09/2025, 10/2025, 11/2025, 12/2025, 01/2026 तथा 02/2026 को MU के बिल निर्गत किए गए।

5. यह कि 11/2025 की अधिकतम डिमाण्ड के विश्लेषण के लिए अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड को पत्र संख्या 1221 दिनांक 18.03.2026 को अवगत कराया गया है। रिपोर्ट आपेक्षित है।

3. दिनांक 24.03.2026 को मंच में सुनवाई हेतु उभयपक्ष उपस्थित हुये। विपक्षी/विभाग अधिशासी अभियन्ता, द्वारा कहा गया कि परिवादी के नवम्बर 2025 के बीजक में MD विश्लेषण के लिये परीक्षण खण्ड को अवगत कराया गया है, जिसकी रिपोर्ट अपेक्षित है।

4. मंच द्वारा वाद पर सुनवाई हेतु पुनः दिनांक 09.04.2026 की तिथि नियत की गई थी। सुनवाई हेतु पक्षकार प्रत्यक्ष रूप से मंच के समक्ष उपस्थित हुए। दोनों पक्षों को सुना गया। सुनवाई के दौरान मंच द्वारा विपक्षी/विभाग को आदेशित किया गया कि उपभोक्ता के परिसर पर स्थापित विद्युत मापक की पुनः पूर्ण विस्तृत जांच मीटर टेस्टिंग एवं संबंधित वितरण खंड द्वारा करवा कर दिनांक 20.04.2026 तक विश्लेषण सहित विस्तृत आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करें।

5. मंच द्वारा वाद पर पुनः सुनवाई हेतु दिनांक 22.04.2024 की तिथि नियत की गई। सुनवाई हेतु परिवादी उपस्थित हुये। विभागीय प्रतिनिधि अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण), हल्द्वानी, अधिशासी अभियन्ता (परीक्षण), हल्द्वानी एवं A.E (Meter) मंच में उपस्थित हुए। विपक्षी द्वारा परिवादी के मीटर की लोड सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि दिनांक 05.11.2025 एवं 06.11.2025 में किसी समय मीटर में अधिकतम मांग अचानक अप्रत्याशित रूप से बढ़ी हुई दर्ज हुई है। इसके अतिरिक्त किसी भी समय ऐसा नहीं हुआ है जबकि खपत औसतन उतनी ही है, खपत में कोई भी वृद्धि नहीं हुई है। अतः यह माना जा सकता है कि मीटर में किसी तकनीकी त्रुटि के कारण ऐसा हुआ है। परिवादी ने उक्त मांग पर (MD) अपना प्लांट नहीं चलाया है, यह लोड सर्वे रिपोर्ट से स्पष्ट हो जाता है।

6. मंच द्वारा उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया। परिवादी के मीटर की लोड सर्वे रिपोर्ट एवं विपक्षी अधिशासी अभियंता (वितरण) खंड एवं परीक्षण खंड के तर्कों को सुनकर यह स्पष्ट हो जाता है कि परिवादी के माह नवम्बर 2025 के बिल में जो डिमांड दर्शायी गयी है वह किसी तकनीकी त्रुटि के कारण है जबकि परिवार में अपना प्लांट उस पर लोड नहीं चलाया है। अतः मंच के मत में नवम्बर 2025 से पूर्व के 6 माह के बीजकों में जिस माह डिमांड सबसे अधिक रही है उसी डिमांड पर परिवादी का बीजक संशोधित किया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

परिवादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी का नवम्बर 2025 का बीजक उससे पूर्व के 6 माह के बीजकों में सबसे अधिक डिमांड वाले माह की अधिकतम मांग के आधार पर संशोधित किया जाये। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्‌मैन, 80 बसंत विहार, देहरादून–248006, के समक्ष प्रत्यावेदन / अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–06.05.2026

06/05/2026 | 06/05/2026
(हिमांशु बहुगुणा) | (बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता) | सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्‌घोषित।

दिनांकः–06.05.2026

06/05/2026
(हिमांशु बहुगुणा) | (बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता) | सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरमः– 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–53/2026
पंजीकरण तिथिः– 27.03.2026
निर्णय की तिथिः– 07.05.2026

रवि शंकर तिवारी, — परिवादी
निवासी वार्ड नं0–03, लालकुआँ,
जिला–नैनीताल

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी (ग्रामीण)

निर्णय

1. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है किः– महोदय प्रार्थी लालकुआँ का निवासी है तथा प्रार्थी के नाम पर एक घरेलू बिजली का कनेक्शन है जिसकी खाता संख्या 52200838501 है। प्रार्थी का बिजली का मीटर विगत कई दिनों से खराब है जिसकी प्रार्थी विद्युत विभाग लालकुआँ को कई बार मौखिक लिखित एवं ऑनलाइन शिकायत कर चुका है। प्रार्थी द्वारा मीटर खराब होने के बावजूद जो भी बिल विद्युत विभाग द्वारा जारी किया गया उसका हर माह भुगतान किया गया है जिस की प्रति संलग्न है। परंतु विद्युत विभाग द्वारा बिल संख्या 3946826032000018 दिनांक 03/2026 से पुरानी बकाया राशि 71226 रुपया दर्शा के माँग की जा रही है जो एकदम अनुचित है एवं गलत है। अतः आप से विनम्र निवेदन है की प्रार्थी की समस्या का संज्ञान लेते हुए तत्काल उचित संशोधन कराने का कष्ट करें। आप की कृपा होगी।

2. विपक्षी/विभाग द्वारा दिनांकित 07.04.2026 को अपने उत्तर पत्र में कहा गया कि उपभोक्ता (विद्युत संयोजन संख्या–**391G102357665**) द्वारा अपनी शिकायत में बिल अधिक आने की बात

की है, बिल का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ है की रीडिंग के आधार पर बिल सही बना है। यदि शिकायतकर्ता को अपना बिल अधिक उपभोग का प्रतीत हो रहा है तो वह चैक मापक शुल्क जमा कर चेक मापक लगा सकता है।

3. विपक्षी/विभाग द्वारा दिनांकित 17.04.2026 को अपने पत्र में कहा गया है कि शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर चैक मीटर का रजिस्ट्रशन कर दिया गया है, चैक मापक शुल्क जमा होते ही चैक मापक लगा दिया जायेगा, जिससे मापक की असल खपत का पता चल जयेगा।

4. विपक्षी/विभाग द्वारा पुनः दिनांकित 30.04.2026 को उत्तर पत्र मय **MRI** रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि उपभोक्ता (विद्युत संयोजन संख्या–**391G102357665**) द्वारा अपनी शिकायत में बिल अधिक आने की बात की है, बिल का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ है की रीडिंग के आधार पर बिल सही बना है। मा० फोरम के समक्ष उक्त संयोजन से संबंधित **MRI** प्रस्तुत है।

5. दिनांक 06.05.2026 को मंच में सुनवाई की तिथि नियत की गई। विपक्षी सुनवाई में उपस्थित रहे जबकि परिवादी अनुपस्थित थे। विपक्षी द्वारा परिवादी की बिलिंग हिस्ट्री एवं मीटर की एम0आर0आई0 रिपोर्ट के आधार पर कहा कि परिवादी का पुराना मापक 16.01.2025 को बदलकर नए मापक लगाया गया। नये मापक की सिलिंग फीड नहीं होने के कारण आर0डी0एफ0 में बिल बने हैं, जिसका परिवादी भुगतान करता रहा है। सीलिंग फीड होने के बाद फरवरी 2026 में मीटर की वास्तविक रीडिंग पर बिल बना तो मालूम हुआ कि आर0डी0एफ0 अवधि में वास्तविक खपत से काफी कम खपत के बिल जारी हुए हैं। जिसकी पुष्टि मीटर की एम0आर0आई0 रिपोर्ट से हो रही है। अतः परिवादी को दिया गेया बिल सही है।

6. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवादी की कंज्यूमर हिस्ट्री के अनुसार वर्तमान मीटर दिनांक 16.01.2025 को **IR** 817 पर स्थापित किया गया तथा मार्च 2026 में मीटर रीडिंग 12431 है। अतः वर्तमान मीटर की कुल खपत को मासिक औसत आधार पर विभाजित करते हुए उचित टैरिफ स्लैब दर से बिल संशोधित किया जाना न्ययोचित होगा।

आदेश

वाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी के वर्तमान मीटर की स्थापना की तिथि 16.01.2025 से वर्तमान तक का बीजक कुल खपत को मासिक औसत आधार पर विभाजित करते हुए समय–समय पर लागू उचित टैरिफ स्लैब की दरों से संशोधित करें। इस प्रकार संशोधित बीजक पर कोई विलंब भुगतान अधिभार देय नहीं

होगा। परिवादी संशोधित बीजक प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर बकाया भुगतान करना सुनिश्चित करे। विपक्षी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर अनुपालन आख्या मंच में प्रस्तुत करें। उभय पक्ष अपना वाद स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः—07.05.2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।
दिनांकः—07.05.2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या–55 / 2026
पंजीकरण तिथि–01.04.2026
निर्णय तिथि–06.05.2026

जयनारायण जोशी परिवादी
वसुन्धरा कालौनी
तल्ली हल्द्वानी
(ट्रांसपोर्ट नगर)
जिला–नैनीताल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
कमलवागांजा, हल्द्वानी।

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र दिनांकित 01.04.2026 में कहा गया है कि मेरा अकाउन्ट नं० 40115639953 है जो ट्रांसपोर्ट नगर के अन्तर्गत आता है। विगत वर्ष 12 मई 2025 को स्मार्ट मीटर बिना अनुमति के लगाया गया था जब कि उस समय घर में वृद्ध माता जी थी उनके सामने लगाया गया और हस्ताक्षर भी अपने से किये जिसने स्मार्ट मीटर लगाया था। उसके बाद 13 जून 2025 को बिल 24208.00 फोन पर आया जब कि मैं लगातार बिल को गूगल पे के माध्यम से जमा कर रहा था। 13 अप्रैल 2025 को बिल 1321.00 रुपया जमा किया था। जुलाई माह का बिल 7–2025 को 37962.00, अगस्त 4–2025 को 47454.00, सितम्बर–4–2025 को 55536.00, अक्टूबर– 10–2025 को – 57617.00, नवम्बर 2025 को 60945.00 बिल आया और 2 दिसम्बर 2025 को मेरा बिजली का कनेक्शन काट दिया गया फिर 2 दिसम्बर को आधा बिल 30,000/– जमा किया गया। 2 दिसम्बर को बिल आया 30945.00, 4 जनवरी 2026 को – 32310.00, फरवरी 3–2026 को 33741.00, मार्च 2026 को 35070.00 आया और फिर कनैक्शन काटने को कहा जा रहा है जब कि जून 2025 से मैं सम्बन्धित उपखण्ड– UPCL, ऑफिस में लिखित में बिल के सम्बन्ध में अवगत करा चुका हूँ अभी तक कोई भी समाधान नहीं हुआ है। जब कि मीटर लगने के बाद प्रति महिने घर का खर्चा – 80 यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से दिखाया गया है। मई महिने से अक्टूबर महीने तक बिजली का बिल बढ़कर आया और नवम्बर से फरवरी के बीच 195 यूनिट से कम आया है जब कि 4 कमरों का मकान है अगर 80 यूनिट प्रतिदिन का खर्चा भी नहीं है। 1 साल होने के बाद भी समाधान नहीं हो पाया है। और जवाब दिया गया है कि पुराने मीटर की

बैलेन्स रीडिंग है। जब कि मीटर रीडर स्कैन करके बिल देता था। उस बिल का पेमेन्ट गूगल पे के माध्यम से किया गया है। कुछ प्रश्न है जो समझ से परे हैं:–

1. क्या स्कैन करने के बाद भी रीडिंग बैलेन्स रह जाती है?
2. क्या 4 कमरों के मकान का बिजली का खर्चा 80 यूनिट हो सकता है जब कि कोई Industry या Heavy Machinery नहीं है?
3. क्या आम नागरिक को इस प्रकार प्रताड़ित करना उचित है?
4. क्या 1 साल होने के बाद भी कोई समाधान नहीं निकालना?
5. अगर 30,000 जमा करने के बाद महिने की 200 यूनिट भी खर्चा नहीं है, फिर भी बिल जमा करने को कहा जाय?
6. मैं मानसिक रूप से प्रताड़ित हो चुका हूँ और मैं अगर कोई भी कदम उठा सकता हूँ, और UPCL से कोई समाधान नहीं मिल पाया है।
7. जब से मैंने बिल के बारे में बताया तब से अचानक रीडिंग आधी हो गयी है।

अतः महोदय से निवेदन है कि जल्दी से इस पर कार्यवाही की जाय और मुझे बाध्य न किया जाय कि कानून की शरण में जाना पड़े।

2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 13.04.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता श्री, जय नारायण जोशी, वसुन्धरा कालोनी, तल्ली हल्द्वानी, नैनीताल, मो०न०– 8630379576 द्वारा विद्युत बिल सम्बन्धी शिकायत के सापेक्ष बिन्दुवार आख्या निम्नवत है:–

1– जिस अवधि में बिजली की खपत उपभोक्ता द्वारा संदेहास्पद बतायी जा रही है, उस समय बिलिंग का कार्य मैनुअल सम्पादित किया जाता था।

2– विद्युत उपभोग, परिसर में लगे मापक द्वारा दर्शाया गया है जिसकी शुद्धता चैक मापक द्वारा मापी जा चुकी है।

3– उपभोक्ता को बिल सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी दी जा चुकी है।

4– उपभोक्ता का बिल मापक से प्राप्त रीडिंग के आधार पर सही है।

5– उपभोक्ता का मार्च 2026 की खपत 195 यूनिट है, उपभोक्ता द्वारा माह जून– जुलाई– अगस्त 2025 में अधिक खपत की गयी है, जिस आधार पर उपभोक्ता को बिल प्रदत किया गया है।

6– उपभोक्ता के पुराने मापक को बदलते समय 1877 यूनिट शेष थी एवं विद्युत बिल यूनिट के आधार पर भेजे गये हैं। जिसका संसोधन करना सम्भव नहीं है।

7– विद्युत खपत से विद्युत बिल की गणना की जाती है।

उक्त प्रकरण में उपभोक्ता का मुख्य विषय माह जून से अगस्त 2025 में बढ़े हुए विद्युत बिलों के सम्बन्ध में है, जोकि मापक के आधार पर ही है एवं मापक की शुद्धता की जांच की जा चुकी है। अतः उक्त बिल ठीक हैं एवं कोई भी सुधार सम्भव नहीं है।

3. दिनांक 20.04.2026 को परिवादी द्वारा विपक्षी के उत्तर पत्र पर आपत्ति प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि निम्न बिंदुओं पर विचार कर लिया जाए।

1. अगर घर का लोड चैक किए बिना सही कैसे हो सकता है की रीडिंग सही है।
2. घर का साइज और अप्लायंस को चैक किया जाए।
3. अगर घर में कोई बिजली की लाइन में अल्ट्रेशन तो नहीं किया।
4. स्मार्ट मीटर लगने के बाद भी उपभोक्ता ₹ 50000.00 जमा कर चुका है यूपीसीएल में।

5. 12 मई 2025 को स्मार्ट मीटर लगाया था। अप्रैल 2025 तक जमा किया था बिल।
6. पुराने मीटर की MRI महीने के अनुसार की जाए जिससे पुरानी रीडिंग का सही पता चल सके।
7. उपभोक्ता को लगातार मानसिक परेशानी से गुजरना पड़ता है।

अतः शिकायत फोरम से अपेक्षा की जाती है कि उपभोक्ता का ध्यान रखा जाये।

4. मंच द्वारा दिनांक 22.04.2026 को वाद पर उभयपक्षों की उपस्थिति में सुनवाई की गयी। विपक्षी को निर्देशित किया गया कि परिवादी के पुराने मापक की MRI रिपोर्ट दिनांक 4 मई 2026 तक मंच में प्रस्तुत करे। जिसके अनुपालन में विपक्षी द्वारा दिनांक 04.05.2026 को मीटर की MRI रिपोर्ट मंच में प्रस्तुत की।
5. दिनांक 06.05.2026 को पुनः पक्षकारों की मंच में सुनवाई की गयी। विपक्षी उपखंड अधिकारी ने परिवादी के संयोजन की बिल हिस्ट्री एवं पुराने मापक की MRI रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा कि परिवादी को उनकी वास्तविक विद्युत खपत पर ही बिल जारी किए गए हैं जिनकी पुष्टि MRI रिपोर्ट से हो रही है। परिवादी ने कहा कि वह इस खपत को स्वीकार नहीं करते तथा उनका बिल संशोधित किया जाये।
6. मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया। बिल हिस्ट्री एवं MRI रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि पुराने मापक को बदलते समय मापक की अंतिम रीडिंग 14041 थी, जो कि MRI रिपोर्ट से मेल खाती है। विपक्षी द्वारा इसी रीडिंग तक का बिल परिवादी को दिया गया है जो कि वास्तविक वास्तविक खपत पर जारी हुआ है। अतः वास्तविक खपत के विद्युत बीजकों में संशोधन संबंधी आदेश पारित करना इस मंच के अधिकार क्षेत्र में नहीं है तथा वाद खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्मैन, 80 बसंत विहार, देहरादून–248006, के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–06.05.2026

06/05/2026 | 06/05/2026
(हिमांशु बहुगुणा) | (बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता) | सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः–06.05.2026

06/05/2026

(हिमांशु बहुगुणा) | (बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता) | सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या–57 / 2026
पंजीकरण तिथि–15.04.2026
निर्णय तिथि–06.05.2026

बहादुर सिंह
सैनिक कॉलोनी
चांदपुर, पो0ओ0–आर.टी.सी. हेमपुर
काशीपुर
जिला–ऊधमसिंह नगर। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
रामनगर। विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र में कहा गया है कि मैं भूतपूर्व सैनिक बहादुर सिंह, सेनामैडल बार (वीरता) एवं ऑपरेशन विजय (कारगिल वार) का घायल सैनिक, मेरा विद्युत कनेक्शन उपभोक्ता संख्या–RR2N220040775, (5 kW सोलर नेट मीटरिंग) सहित लगा है मैंने अपना आवासीय भवन जो मदनपुर बोरा, पोस्ट ऑफिस–छोई रामनगर, जिला नैनीताल में था उसको 30.12.2025 को विधिवत रूप से विक्रय (Sale Deed के माध्यम से) कर दिया है। मेरे द्वारा और भवन के नए स्वामी द्वारा संबंधित UPCL कार्यालय, कालाढूंगी रामनगर में उक्त कनैक्शन को नए स्वामी के नाम करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, परंतु विभाग द्वारा सोलर सहित कनैक्शन ट्रांसफर की कोई गाइड लाइन न होने का हवाला दे कर कनैक्शन नए स्वामी के नाम ट्रांसफर करने से मना कर दिया गया। दिनांक 27.01.2026 को मैंने RTI आवेदन संख्या 127 / उपकाली / लो. सू. अधि. (मु.) / 2025–26 / एफ 424 के माध्यम से सोलर प्लांट (5 kW नेट मीटरिंग) युक्त घरेलू विद्युत कनेक्शन के ट्रांसफर संबंधी जानकारी मांगी थी। जिसमें विभाग द्वारा भी कोई गाइडलाइन उपलब्ध नहीं होना बताया गया। मेरे द्वारा 23 फरवरी 2026 को प्रथम अपील की गई जिसकी 12 मार्च 2026 को सुनवाई हुई मैंने ऑन लाइन अपना पक्ष रखा। लोक सूचना अधिकारी द्वारा 24.03.2026 को उत्तराखंड गजट 28.03.2020 का एक पेज का पत्र भेजा गया जिसमें सोलर सिस्टम का उल्लेख ही नहीं है। जबकि विभाग को मेरे द्वारा भेजे गए हर पत्र और मेल में 5 KW सोलर नेट मीटरिंग के साथ कनैक्शन ट्रांसफर

की बात बताई गई है। लेकिन इस पत्र में सोलर युक्त कनैक्शन का जिक्र ही नहीं है इसी बात को आधार बना कर कालाढूंगी और रामनगर विद्युत विभाग द्वारा ट्रांसफर करने से मना किया गया है। यदि सोलर सिस्टम लगने के बाद अपनी प्रॉपर्टी बेचना मना है तो आज लाखों सोलर सिस्टम लगाए जा रहे हैं, तो सरकार और विभाग को प्रॉपर्टी भविष्य में ना बेचने का पत्र भी साथ में देना चाहिए। इसलिए जनहित को ध्यान में रखते हुए एक सरल और जनहितकारी ट्रांसफर गाइडलाइन दे कर हमारी परेशानी को दूर करने की कृपा करें। सर युद्ध में घायल होने और हार्ट पैसेंट (दो स्टंट) पड़ चुके होने के कारण इस मामले ने मुझे और भी काफी मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान कर दिया है। यह स्पष्ट है कि विभाग द्वारा बिना किसी ठोस नियम के विद्युत कनेक्शन का नामांतरण रोका जा रहा है, इस कनेक्शन के ट्रांसफर ना होने के कारण मैं अपने नए निवास में सोलर सिस्टम विथ इनवर्टर नहीं लगा पा रहा हूं। जबकि गर्मी हो चुकी है। अतः निवेदन है कि मेरी और भविष्य की आने वाली इस समस्या का निराकरण करने की कृपा करें, और संबंधित UPCL कार्यालय को निर्देशित किया जाए कि विद्युत कनेक्शन (सोलर सहित) नए स्वामी के नाम स्थानांतरित किया जाए। अनावश्यक विलंब एवं उत्पन्न असुविधा के लिए उचित कार्यवाही की जाए।

2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 24.04.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता श्री बहादुर सिंह पुत्र श्री राम सिंह ग्राम मदनपुरबोरा, पो० छोई स्वीकृत विद्युत भार–1 कि०वा० विद्युत संयोजन संख्या आर०आर० 1/एन0220/040775 द्वारा दिनांक 23.03.2023 को पी०एम० सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 5 कि०वा० विद्युत क्षमता का रूफटॉप सोलर प्लान्ट लगाने हेतु अनुबन्ध किया गया था, दिनांक 23.03.2023 से उपभोक्ता के उक्त प्लान्ट पर नेट मीटरिंग प्रारम्भ कर दी गयी थी। उपभोक्ता द्वारा उक्त प्लान्ट के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा दी गयी अनुदान की धनराशि भी प्राप्त कर ली गयी है। उपभोक्ता द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त विद्युत क्षमता का रूफटॉप सोलर प्लान्ट सहित परिसर को किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय कर दिया गया है। चूंकि उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता नये संयोजनों को जारी करना तथा सम्बन्धित मामले) विनियम 2020 के 4.3.1 विन्दु के अनुसार सम्पत्ति के स्वामित्व में परिवर्तन के कारण उपभोक्ता के नाम में परिवर्तित किया जा सकता है (छाया प्रति संलग्न), किन्तु रूफटॉप सोलर प्लान्ट स्थानान्तरित करने सम्बन्धित नियमावली उपलब्ध न होने के कारण उपभोक्ता के आवेदन को स्वीकृत नहीं किया जा रहा है। मा० फोरम के संज्ञान में यह भी लाना है कि उपभोक्ता को कारपोरेशन मुख्यालय के कार्यालय पत्रांक–133/अधी०अभि०/वि०अ०अ०/उपाकालि/(207/2025–26) दिनांक 12.03.2026 के बिन्दु संख्या 5 द्वारा सूचित कर दिया गया है कि सोलर प्लान्ट स्थानान्तरित करने से सम्बन्धित कोई भी नियमावली वर्तमान में कार्यालय अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है।

3. मंच द्वारा वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 06.05.2026 की तिथि नियत की गयी। सुनवाई हेतु पक्षकार प्रत्यक्ष रूप से मंच में उपस्थित हुये। परिवादी द्वारा कहा गया कि उसने अपना भवन बेच दिया है अतः संयोजन विक्रेता के नाम पर स्थानांतरित होना चाहिए। विपक्षी सहायक अभियन्ता (राजस्व) ने बताया कि वितरण खण्ड एवं परिवादी के बीच 25 वर्ष के लिए पावर **Power Purchase Agreement** हुआ है। परिवादी ने सोलर रूफटॉप लगाने पर सरकारी सब्सिडी भी प्राप्त की है। वर्तमान में सोलर प्लांट स्थानांतरण के

संबंध में कोई नियमावली/विनियम भी नहीं है। अतः यह संयोजन किसी अन्य के नाम पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।

4. मंच द्वारा द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवादी ने जिस परिसर पर सोलर रूफटॉप स्थापित किया है उसे विक्रय कर दिया गया है। परिवादी एक **Prosumer** है तथा उसमें लाइसेंसी के साथ **Power Purchase Agreement** किया हुआ है। ऐसी स्थिति में यह मंच परिवादी के नाम के विद्युत सोलर संयोजन को किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर स्थानांतरित करने का आदेश पारित नहीं कर सकता। अतः वाद खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्मैन, 80 बसंत विहार, देहरादून–248006, के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–06.05.2026

06/05/2026 — (हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

06/05/26 — (बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः–06.05.2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

06/05/26 — (बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया,सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या–58 / 2026
पंजीकरण तिथि–16.04.2026
निर्णय तिथि–04.05.2026

प्रकाश चन्द्र — परिवादी
पुत्र गोपाल राम
ग्राम–हरिनगर, पो0–जंगलियागॉव
तहसील–नैनीताल
जिला–नैनीताल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
नैनीताल।

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र में कहा गया है कि प्रार्थी प्रकाश चन्द्र पुत्र श्री गोपाल राम ग्राम हरिनगर, जंगलियागांव का स्थायी निवासी है जिसका विद्युत कनेक्शन संख्या 591BN13174460 है, महोदय मेरे घर की छत के ऊपर से विद्युत विभाग भीमताल के जे०ई०, सी०डी०ओ० और लाईन मैन सुरेश चन्द्र नीगाई का कार्य चलाने वाले ने हम से यह बोला कि हम इस लाईन को कुछ समय बाद हटा देंगे कहकर छत के ऊपर से 11000 के०वी० थ्री फेस की लाईन डाल दी जिससे हमेशा मेरे और परिवार वालों के लिए खतरा बना रहता है, मैने इनको बार–बार बोलने व लिखित रूप से हटाने के लिए कहे जाने पर मुझसे 25000.00 रूपये घुस मांग रहे हैं मेरे द्वारा असमर्थता जताने पर विद्युत विभाग के इन कर्मचारियों ने दिनांक 26.03.2026 को बगैर सूचना व बिजली का बिल दिये बिना मेरा बिजली का कनेक्शन काट दिया। महोदय मेरा घर जंगलों के बीच में होने के कारण मेरे लिए और मेरे परिवार वालों के लिए जानवरों का भय हमेशा बना रहता है आजकल पहाड़ों पर जंगली जानवरों का आतंक वैसे ही फैला हुआ है घर पर छोटे बच्चों और पालतु जानवरों के लिए भी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। महोदय बिजली का बिल भी इतना ज्यादा नहीं था की कनेक्शन कट जाये जबकि मेरे पड़ोसियों बिल मुझसे 4 गुना अधिक था फिर भी उनका कनेक्शन नहीं कटा गया, जिस दिन मेरा कनेक्शन काटा गया उसके ठीक एक सप्ताह बाद इन लोगों ने उसी

दिन का बिजली का बिल निकालकर किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा यह कहलवा कर भेजा था कि बिल देने के लिए मुझसे कहा था और मैं देना भूल गया, मेरे द्वारा विद्युत विभाग के अधिकारियों और लाईनमैन से जब पूछा गया की आपने बिना बिल दिये व बिना सूचित किये कनेक्शन कैसे काटा, तो मुझे उनके द्वारा उचित उत्तर नहीं मिला और उसके ऐवज में मुझसे असभ्य भाषा का उपयोग किया गया और मुझे मारने की धमकी देने लगे।महोदय जिस दिन मेरा कनेक्शन काटा गया उसके ठीक एक सप्ताह बाद इन लोगों ने उसी दिन का बिजली का बिल निकालकर किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा यह कहलवा कर भेजा था कि बिल देने के लिए मुझसे कहा था और मैं देना भूल गया। अतः महोदय से विनम्र अनुरोध है कि इस विषय को गंभीरता से लेते हुए उचित कार्यवाही करने का कष्ट करें ताकि ये किसी और के साथ न हो। मै बिल का भुगतान करने के लिये तैयार हूँ, क्रपया कनैक्शन जोड़ दिया जाय।

2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 0[illegible].05.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता श्री प्रकाश चन्द्र, जगलीया गांव, के परिसर पर दि० 16.04.2024 को विद्युत बिल जमा करने के उपरान्त दि० 16.04.2024 को ही विद्युत संयोजन पुनः संयोजित कर विद्युत से सम्बन्धित शिकायत का समाधान कर दिया गया है।इसके अतिरिक्त उपभोक्ता द्वारा किये गये विद्युत लाईन एवं धनराशि से सम्बन्धित प्रश्नों के उत्तर के लिये उपखण्ड अधिकारी की आख्या के अनुसार, उपभोक्ता द्वारा विगत एक वर्ष से कोई भी विद्युत बिल का भुगतान नहीं किया गया था जिस कारण वित्तीय वर्ष के अन्त में उक्त संयोजन अस्थाई रूप से विच्छेदित किया गया। लाईन स्थानान्तरण के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि लगभग 22 से 23 वर्ष पूर्व उक्त क्षेत्र में लाईन स्थापित की गयी जिसका प्रमाण निर्गत किया गया संयोजन संख्या 591BN13086029 है जो उनके पिता श्री गोपाल राम पुत्र श्री पुरन राम के नाम से है। उक्त प्रकरण में मा० मंच को अवगत कराना है कि दिनांक 13.01.2024 को न्याय पंचायत धपलिया मेहरा गांव में आयोजित जन–जन की सरकार, जन–जन के द्वार बहुउद्देशीय शिविर में इनके पिता व परिवार जन की ओर से उक्त लाईन को स्थानान्तरण करने का प्रार्थना पत्र दिया गया है जो संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। जिसके सापेक्ष विभागीय कार्यवाही कर प्राकलन तैयार किया गया जिसकी संख्या डब्लू 2300769 है जिसके उपरान्त खण्ड कार्यालय से स्वीकृति प्राप्त होने व उपभोक्ता द्वारा प्राकलन की आवश्यक धनराशि जमा करने के उपरान्त ही लाईन स्थानान्तरण की कार्यवाही की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों से 25000.00 रू० की घुस मागने व मारने की धमकी के आरोप पूर्णतः निराधार है जिसके सत्यता व पुष्टि का कोई प्रमाण नहीं है।

3. मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को सम्यक रूप से परिशीलन किया गया, जिससे स्पष्ट है कि परिवादी की विद्युत विच्छेदन संबंधी शिकायत का समाधान बकाया भुगतान की तिथि पर ही संयोजन पुनः संयोजित कर विपक्षी द्वारा कर दिया गया है।

विद्युत लाइन शिपिंटग के संबंध में आपको अवगत कराना है कि उपरोक्त कार्य "भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन गठित The works of Licensee Rules, 2006" में निहित नियमों के अंतर्गत किये जाने का प्रावधान है" जिसके अंतर्गत लाईन शिपिंटग के संबंध में आदेश पारित करने का अधिकार केवल जिला मजिस्ट्रेट अथवा पोलिस कमीशनर अथवा प्राधिकृत अधिकारी को ही प्राप्त है जिनके द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध रिवीजन की सुनवाई का अधिकार भी सम्बन्धित आयोग को ही है। प्रस्तुत मंच को इस

सम्बन्ध में आदेश पारित करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। साथ ही **UTTARAKHAND ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION date- 22 January 2019 (Guidelines for Appointment of members and procedure to be followed by the forum for redressal of Grievances of the Consumers) Regulation, 2019** ऐसी के नियम 3.1(5) के तहत इस मंच को विद्युत लाईन/पोल/उपकरण शिफ्ट किये जाने संबंधी मामलों को सुनने को सुनने का अधिकार इस मंच के पास नहीं है।

चूंकि विपक्षी/विभाग द्वारा परिवादी की समस्या का निराकरण कर दिया गया है। अतः परिवाद निस्तारित किया जाता है।

आदेश

वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–04/05/2026

04/05/2026

(हिमांशु बहुगुणा) सदस्य (उपभोक्ता)	(तिलक राज भाटिया) सदस्य (तकनीकी)	(विष्णु प्रसाद डोभाल) सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः–04/05/2026

(हिमांशु बहुगुणा) सदस्य (उपभोक्ता)	(तिलक राज भाटिया) सदस्य (तकनीकी)	(विष्णु प्रसाद डोभाल) सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या–183 / 2025
पंजीकरण तिथि–26.12.2025
निर्णय तिथि–06.05.2026

आशीष मिश्रा
द्वारा ऋचा मिश्रा
केहलक्वीरा, भवाली
जिला–नैनीताल। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
नैनीताल। विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र दिनांकित 23.12.2025 में कहा गया है कि हमारे आवास पर ऑन–ग्रिड सोलर सिस्टम स्थापित है एवं सोलर एक्सपोर्ट / इम्पोर्ट मीटर लगा हुआ है। पिछले पाँच वर्षों से हमारा बिजली बिल निरंतर नेगेटिव आता रहा है तथा विभाग द्वारा हमें सोलर एक्सपोर्ट का क्रेडिट प्राप्त होता रहा है। परंतु अक्टूबर 2025 से मीटर में गंभीर तकनीकी समस्या उत्पन्न हो गई है, जिसके कारण सोलर एक्सपोर्ट की रीडिंग नहीं ली जा रही है और हमें लगातार गलत व अत्यधिक बिल प्राप्त हो रहे हैं।

मेरे द्वारा पूर्व में भी उक्त के संबंध में शिकायतें की जा चुकी है (शिकायत सं0–12010250009 दिनांक 20 अक्टूबर 2025 व शिकायत संख्या–12011250057 दिनांक 20 नवम्बर 2025)। परन्तु वर्ततान स्थिति यह है कि अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर 2025 में कोई भी सोलर एक्सपोर्ट यूनिट क्रेडिट नहीं की गई। दिसंबर माह में ₹ 5,000.00 से अधिक का अत्यधिक व गलत बिल प्राप्त हुआ। कॉल सेंटर से केवल JE/SDO से संपर्क करने की सलाह दी गई। JE से संपर्क एवं SDO कार्यालय में लिखित शिकायत देने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई। (तकनीकी त्रुटि का प्रमाण) हमने स्वयं जांच के दौरान पाया कि मुख्य बिजली सप्लाई एक घंटे तक बंद रखने पर भी मीटर 4 यूनिट की खपत दिखा रहा है, जो स्पष्ट रूप से यह सिद्ध करता है कि मीटर खराब है। (तकनीकी त्रुटि का प्रमाण)

अतः आपसे करबद्ध निवेदन है कि सोलर एक्सपोर्ट/इम्पोर्ट मीटर की तत्काल जांच कराई जाए, खराब मीटर को तुरंत बदला जाए, अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर 2025 के गलत बिलों का संशोधन किया जाए व मीटर परिवर्तन की आधिकारिक प्रक्रिया एवं समयसीमा से हमें अवगत कराया जाए।

विभागीय स्तर पर निरंतर निष्क्रियता के कारण हमें आर्थिक हानि एवं मानसिक कष्ट उठाना पड़ रहा है, जबकि उपभोक्ता के रूप में हमारी ओर से पूर्ण अनुपालन किया गया है। हमें विश्वास है कि आपके हस्तक्षेप से इस समस्या का शीघ्र समाधान होगा।

2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तत उत्तर पत्र दिनांकित 08.01.2026 में कहा गया है कि वर्तमान नये अथवा चेक सोलर मापकों के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मापक उपभोक्ता द्वारा ही क्रय किये जाने हैं। जिन उपभोक्ताओं का सोलर मापक परीक्षण किया जाना है तो परीक्षण शुल्क की धनराशि भी उपभोक्ता द्वारा ही दी जानी है। उक्त प्रकरण में यदि उपभोक्ता को सोलर मापक के इम्पार्ट/एक्सपोर्ट यूनिटों में सन्देह है तो वह परीक्षण शुल्क की धनराशि एवं चैक मापक उपलब्ध कराकर मापक का परीक्षण करा सकते हैं।
3. मंच द्वारा वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 16.01.2026 की तिथि नियत की गयी। परिवादी अनुपस्थित रहे जबकि विपक्षी सहायक अभियन्ता(राजस्व) उपस्थित रहे। सुनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि "चैक मापक उपभोक्ता के स्तर पर ही क्रय किया जाना है तथा चैक मापक शुल्क भी जमा किया जाना है। उपभोक्ता को इस संबंध में अवगत भी करा दिया गया है कि पावर परचेज एग्रीमेंट के अनुसार चैक मापक उपभोक्ता द्वारा ही उपलब्ध कराया जाएगा।" मंच द्वारा, परिवादी को निर्देशित किया कि चैक मापक उपलब्ध कराये तथा एग्रीमेंट के अनुसार उसको स्थापित कराये। मंच द्वारा पक्षकारों को दिनांक 28.01.2026 पूर्वाहन 11:00 बजे तक उक्त के सबंध में अपनी आख्या/उत्तर पत्र मंच के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु भी आदेशित किया गया।
4. परिवादी द्वारा दिनांक 27.01.2026 का ईमेल प्रेषित कर कहा गया कि आपके कार्यालय द्वारा प्राप्त पत्र के निर्देशों का पालन करते हुए, मैंने सोलर चैक मीटर विभाग को उपलब्ध करा दिया है। इस सम्बन्ध में निर्धारित परीक्षण शुल्क ₹ 400.00 का भुगतान दिनांक 22.01.2026 को कर दिया गया है, जिसकी रसीद (पुस्तक संख्या–1, रसीद संख्या 043625) इस आवेदन के साथ संलग्न है। आपको अवगत कराना है कि माह नवंबर 2025 से मेरे परिसर का विद्युत बिल अत्यधिक और त्रुटिपूर्ण प्राप्त हो रहा है। हमें पूर्ण संदेह है कि वर्तमान सोलर मीटर में तकनीकी खराबी (Fault) है, जिसके कारण रीडिंग सही नहीं आ रही है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द चैक मीटर (Test Meter) स्थापित करने का कष्ट करें, ताकि वास्तविक रीडिंग का पता चल सके। एक बार चैक मीटर की रीडिंग स्पष्ट हो जाने के पश्चात, नवंबर, दिसंबर और जनवरी माह में जमा की गई अतिरिक्त धनराशि को भविष्य के बिलों में नियमानुसार समायोजित (Adjust) करने की कृपा करें। आशा है कि आप उपभोक्ता की समस्या को देखते हुए इस पर शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
5. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 06.02.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता द्वारा चैक मापक का शुल्क करने के उपरान्त खण्ड कार्यालय पत्रांक 154 दि० 27.01.2026 के माध्यम से सहायक अभियन्ता (मापक) विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला अल्मोड़ा को मापक की टेस्टिंग करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। उक्त प्रकरण में उपभोक्ता

(श्री आशीष मिश्रा) द्वारा दूरभाष पर वार्ता करने पर उपभोक्ता द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता का मापक विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला, अल्मोड़ा को उपलब्ध हो चुका है। विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला, अल्मोड़ा द्वारा उपभोक्ता के मापक की जांच रिपोर्ट आने के उपरान्त ही उक्त प्रकरण में अग्रिम एवं आवश्यक कार्यवाही किया जाना सम्भव हो पायेगा।

6. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांक 20.02.2026 में कहा गया है कि खण्ड कार्यालय द्वारा पूर्व प्रेषित पत्रांक 154 दि० 27.01.2026 के माध्यम से सहायक अभियन्ता (मापक) विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला अल्मोड़ा को मापक की टेस्टिंग करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है परन्तु मापक की टेस्टिंग रिर्पोट प्राप्त न हो पाने के कारण उक्त प्रकरण में अग्रिम एवं आवश्यक कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं हो रहा है।
7. परिवादी द्वारा दिनांक 20.02.2026 का ईमेल प्रेषित कर कहा गया कि उपरोक्त वाद संख्या के संदर्भ में आपके द्वारा प्रेषित उत्तर एवं अब तक दिए गए सहयोग हेतु हार्दिक धन्यवाद। सविनय निवेदन है कि इस प्रकरण के संबंध में हमारे प्रतिनिधि श्री आशीष मिश्रा मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस (MWC) में सहभागिता हेतु बार्सिलोना, स्पेन की यात्रा पर जा रहे हैं। इस कारण वे दिनांक 6 मार्च 2026 तक देश से बाहर रहेंगे। अतः आपसे अत्यंत विनम्र अनुरोध है कि कृपया व्यक्तिगत उपस्थिति हेतु 9 मार्च 2026 से प्रारंभ होने वाले सप्ताह में किसी उपयुक्त तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें, ताकि निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर प्रकरण में अपना पक्ष समुचित रूप से प्रस्तुत किया जा सके। इस बीच हमें आशा है कि परीक्षणित (टेस्टेड) मीटर की स्थापना शीघ्र पूर्ण हो जाएगी तथा उसकी परीक्षण रिपोर्ट भी उपलब्ध हो जाएगी, जिससे प्रकरण में आगे की कार्यवाही सुगमता से की जा सके। आपकी कृपा एवं सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा है।
8. मंच द्वारा वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 24.02.2026 की तिथि नियत की गयी। विभागीय प्रतिनिधि AE(R) उपस्थित, परिवादी अनुपस्थित रहे। विपक्षी द्वारा बताया गया कि परिवादी के परिसर पर चैक मापक स्थापित कियाा जा चुका है, फाईनल रिपोर्ट आने पर आख्या प्रस्तुत की जायेगी।
9. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 04.04.2026 में कहा गया है कि सहायक अभियन्ता (मापक) द्वारा उपभोक्ता के परिसर पर चैक मापक दि० 22.02.2026 को स्थापित कर दि० 23.03.2026 को चैक मापक निकाला गया है। मापक की सीलिंग प्रमाण पत्र की प्रति सहायक अभियन्ता (मापक) द्वारा दि० 02.04.2026 को उपलब्ध करायी गयी है परन्तु मापक की एक स्पष्ट रिपोर्ट दी जानी शेष है। जिसके उपरान्त ही बिल संशोधन सम्बन्धित कार्यवाही सहायक अभियन्ता (राजस्व) द्वारा की जानी है। उक्त क्रम में ही बिल संशोधन करने हेतु सहायक अभियन्ता (मापक) को भी दूरभाष एवं पत्र प्रेषित कर अतिशीघ्र स्पष्ट रिपोर्ट उपलब्ध कराने हेतु कहा गया है। बिल संशोधन सम्बन्धित कार्यवाही पूर्ण होने पर अतिशीघ्र मा० फोरम के समक्ष सूचनार्थ एवं आवश्यक दिशानिर्देश हेतु प्रेषित किया जा सकेगा।
10. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 06.04.2026 में कहा गया है कि उक्त प्रकरण मे बिल संशोधन करने के लिये उपभोक्ता के चैक मापक की रिपोर्ट सहायक अभियन्ता (मापक) भवाली के द्वारा दि0 06.04.2026 को व्हट्ऐप के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी है। बिल संशोधन के सम्बन्धि में आप विदित ही हैं कि उपभोक्ता के विद्युत बिल में सर्वप्रथम मैन्वल संशोधन करने के उपरान्त ऑन लाईन संशोधन की प्रक्रिया की जाती है। ऑन लाईन संशोधन होने व सम्बन्धित अधिकारी/कार्मिकों द्वारा संस्तुति करने

के उपरान्त ही उपभोक्ता के विद्युत बिल में संशोधन करने सम्बन्धित कार्यवाही गतिमान है। जिसमें समय लगना सम्भव है। कार्यवाही पूर्ण होते ही माननीय मंच के समक्ष आख्या प्रेषित कर दी जायेगी। अतः माननीय मंच के पुनः अनुरोध में कि उक्त प्रकरण के बिल संशोधन में सम्पूर्ण कार्यवाही करने हेतु दो सप्ताह का अतिरिक्त समय प्रदान करने का कष्ट करें।

11. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त उत्तर पत्र दिनांकित 24.04.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता के विद्युत बिल (संयोजन संख्या–592NM11116443) में संशोधन कर दिया गया है। उपभोक्ता के विद्युत बिल में दि0 20.04.2026 को रु0 18475.00 का CCBR adjustment करने के उपरान्त विद्युत बिल ऋणात्मक तेईस हजार पांच सौ बयासी रु० मात्र (–23582.00 रु०) का बनाया गया है।

12. परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर/आपत्ति दिनांकि 25.04.2026 में कहा गया है कि उपरोक्त प्रकरण के संदर्भ में प्रस्तुत अभिलेखों, उपभोक्ता लेजर विवरण एवं विभागीय प्रविष्टियों के परीक्षण के आधार पर निवेदन है कि मामले में गंभीर त्रुटियाँ परिलक्षित होती हैं। (लेजर विश्लेषण) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें प्रमुख तथ्यों को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है।

मुख्य निवेदन

दिनांक 20.04.2026 के अनुसार मीटर 1112% तेज एवं दोषपूर्ण पाया गया है, अतः विवादित अवधि की बिलिंग पुनः सत्यापन योग्य है। उपभोक्ता का उपभोग सामान्यतः 100 यूनिट से कम तथा सोलर उत्पादन 400 यूनिट प्रति माह है, अतः खाता स्वाभाविक रूप से क्रेडिट (negative balance) में रहना चाहिए। अक्टूबर 2025 से उच्च एवं असंगत बिल जारी किए गए, जिन्हें उपभोक्ता को बाध्य होकर जमा करना पड़ा। यह निवेदन है कि UPCL द्वारा की गई पुनर्गणना की पुनः जांच की जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि सोलर उत्पादन का समुचित समायोजन किया गया है। यदि यह सही पाया जाता है तो उपभोक्ता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

प्रार्थनाएँ

विवादित अवधि की बिलिंग का पुनः सत्यापन किया जाए। अतिरिक्त जमा राशि को वापस किया जाए। चूंकि उपभोक्ता निरंतर नेट क्रेडिट में रहेगा, अतः राशि को सीधे बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाए। जमा राशि पर उचित ब्याज प्रदान किया जाए। मानसिक एवं आर्थिक कष्ट हेतु उपयुक्त क्षतिपूर्ति प्रदान की जाए। भविष्य हेतु सोलर उपभोक्ताओं के लिए पारदर्शी प्रक्रिया निर्धारित की जाए।

लेजर विश्लेषण–एक पृष्ठ

लेजर में "SolarEnergyChg" प्रविष्टियाँ स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं कि सोलर उत्पादन का क्रेडिट दिया जा रहा है, परंतु इसकी गणना (यूनिट से राशि) स्पष्ट नहीं है। उपभोग कम एवं उत्पादन अधिक होने के कारण उपभोक्ता नेट ऊर्जा निर्यातक (Net Exporter) है, अतः बिलिंग में डेबिट आना तार्किक नहीं है। अक्टूबर 2025 से बिलिंग में असामान्य वृद्धि (₹5000–₹7000) पाई गई, जो मीटर दोष से मेल खाती है। मीटर के 1112% तेज पाए जाने के पश्चात किया गया ₹18,475 का समायोजन पर्याप्त पारदर्शी नहीं है। इसका विस्तृत विवरण आवश्यक है। लेजर में समायोजन, चार्ज एवं क्रेडिट मिश्रित रूप से दर्शाए

गए हैं, जिससे वास्तविक स्थिति का सत्यापन कठिन हो जाता है। उपलब्ध आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि उपभोक्ता निरंतर क्रेडिट स्थिति में रहना चाहिए, अतः अतिरिक्त राशि का बैंक भुगतान ही व्यवहारिक समाधान है। अतः माननीय मंच से निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर उपभोक्ता को उचित राहत प्रदान करने की कृपा करें।

13. परिवादी द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांकित 27.04.2026 में कहा गया है कि उपरोक्त प्रकरण में पूर्व में प्रस्तुत तथ्यों के अतिरिक्त, अप्रैल 2026 के विद्युत बिल के विश्लेषण एवं लागू विधिक प्रावधानों के आधार पर निम्न महत्वपूर्ण बिंदु आपके संज्ञान में प्रस्तुत किए जाते हैं:
   1. मीटर दोषपूर्ण होना(विधिक स्थिति)–विभाग द्वारा स्वयं यह स्वीकार किया जा चुका है कि संबंधित मीटर 1112% तेज एवं पूर्णतः दोषपूर्ण था। इस संदर्भ में (Electricity Act, 2003– Section 55) केवल सही एवं प्रमाणित मीटर के आधार पर ही बिलिंग की जा सकती है। (Electricity Act, 2003– Section 56) उपभोक्ता से केवल वैध एवं सही बकाया राशि ही वसूल की जा सकती है। अतः दोषपूर्ण मीटर पर आधारित समस्त बिलिंग विधिक रूप से अवैध एवं शून्य (Null & Void) है।
   2. UPERC (Uttarakhand Electricity Regulatory Commission) प्रावधान–UPERC Supply Code / Metering Regulations-यदि मीटर दोषपूर्ण पाया जाता है:–बिलिंग का निर्धारण औसत उपभोग या वैकल्पिक वैज्ञानिक विधि से किया जाना चाहिए। तथा उपभोक्ता को अनुचित बिलिंग से संरक्षित किया जाना अनिवार्य है। परन्तु वर्तमान प्रकरण में न तो पारदर्शी पुनर्गणना दिखाई गई और न ही सोलर Export का समुचित समायोजन स्पष्ट है।

14. मंच द्वारा वाद पर दिनांक 24.02.2026, 08.04.2026 एवं दिनांक 06.05.2026 को सुनवाई की गयी।

15. अंतिम सुनवाई तिथि 06.05.2026 को विपक्षी द्वारा बिल संशोधन गणना शीट के साथ निम्न आख्या प्रस्तुत की गयी।

"उपभोक्ता श्रीमती रिचा मिश्रा पत्नी श्री आशीष मिश्रा कहलकवीरा भवाली, संयोजन संख्या–592NM11116443 जिसका स्वीकृत भार 3 KW है तथा यह सोलर रूफ टॉप विद्युत संयोजन है। उपभोक्ता के आवेदन पर दिनांक 22.02.2026 को उपभोक्ता के परिसर पर सोलर चैक मीटर लगाया गया। जिसे दिनांक 23.03.2026 को उतारा गया जिसमें उपभोक्ता का पूर्व मापक 1112 प्रतिशत तेज पाया गया जिसे खराब मानते हुए उपभोक्ता के पूर्व बिलों 10/2025 से 01/26 (संलग्न गणना शीट के अनुसार) का संशोधन कर उपभोक्ता के लेजर से धनराशि 18475.00 घटा दी गई है। उपभोक्ता के पूर्व मीटर के अनुसार ग्रिड को दी गई, (उपभोक्ता के मापक की MRI के अनुसार) यूनिट उक्त अवधि में शून्य थी। तथा उपभोक्ता द्वारा पूर्व में मेन मीटर के साथ चैक मीटर भी नहीं लगाया गया था जिस कारण उक्त अवधि में ग्रिड को दी गई यूनिट शून्य ली गई है। अतः उक्त अवधि के लिए ग्रिड को दी गई यूनिट शून्य होने के कारण उसका कोई समायोजन दिया जाना संभव नहीं है।"

16. मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का सम्यक् रूप से परिशीलन किया गया। विपक्षी द्वारा कहा गया है कि चैक मापक फाइनल रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर

2025 से जनवरी 2026 के मध्य परिवादी के मीटर को खराब मानते हुए नियमानुसार पूर्व औसत के आधार पर बिल संशोधित कर दिया गया है। MRI रिपोर्ट में परिवादी के मीटर की उक्त अवधि में Export यूनिट शून्य दर्शित हुई है जिसके लिए कोई समायोजन नहीं दिया जा सकता। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी की मूल शिकायत का विपक्षी द्वारा बिल संशोधित का निराकरण कर दिया गया है। अतः इस वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

आदेश

विपक्षी द्वारा, परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरुप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्मैन, 80 बसंत विहार, देहरादून–248006, के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–06.05.2026

06/05/2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः–06.05.2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

<u>विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच</u>
<u>उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0</u>
<u>हल्द्वानी</u>
<u>जिला–नैनीताल</u>

कोरमः– 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया, सदस्य (तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

<u>वाद संख्या–04202604130001</u>
पंजीकरण तिथिः– 13.04.2026
निर्णय की तिथिः– 22.05.2026

विधा पवार,
ग्राम–खीमपुर गैबुआ खास,
बैलपडाव, रामनगर
जिला–नैनीताल

<u>बनाम</u>

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
रामनगर

<u>निर्णय</u>

1. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है किः– **"Regarding the excess electricity bill.**

2. विपक्षी / विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया है कि उपभोक्ता का विद्युत बिल मापक की रीडिंग के अनुसार ही निर्गत किये जा रहे हैं (कन्जूमर हिस्ट्री एवं मीटर की फोटो संलग्न)। मा० फोरम को यह भी अवगत कराना कि उभोक्ता के अनुरोध पर चैक मापक स्थापित किया गया है, चैक मापक की अन्तिम रिपोर्ट के अधार पर आगे की कार्यवाही की जा सकेगी।

3. विपक्षी / विभाग द्वारा पुनः दिनांक 21.05.2026 को अपने पत्र में कहा गया है कि उपभोक्ता के परिसर में स्थापित चौक मापक में कोई अन्तर नहीं पाया गया। (सिलिंग प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न)। अतः नियमानुसार बिल संशोधित नहीं किया जा सकता है।

4. परिवादी द्वारा दिनांकित 21.05.2026 को दूरभाष के माध्यम से अवगत कराया गया है कि विभाग द्वारा उसकी समस्या का समाधान कर दिया गया है। अतः मेरी वाद की कार्यवाही समाप्त कर दी जाय।

5. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी/विभाग द्वारा परिवादी की बिलिंग से संबंधित शिकायत का निराकरण कर दिया गया है। जिसकी पुष्टि परिवादी द्वारा दूरभाष के माध्यम से की गई है। अतः वाद को आगे चलाए जाने का कोई औचित्य नहीं है। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः– 22.05.2026

22/05/2026

(हिमांशु बहुगुणा)	(तिलक राज भाटिया)	(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।
दिनांकः–22.05.2026

22/05/26

(हिमांशु बहुगुणा)	(तिलक राज भाटिया)	(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

हल्द्वानी

जिला–नैनीताल

कोरमः– 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–04202604160001

पंजीकरण तिथिः– 17.04.2026

निर्णय की तिथिः– 07.05.2026

राजेन्द्र कुमार, परिवादी
ब्योराखाम टांगर काठगोदाम,
जिला–नैनीताल

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी (नगर)

निर्णय

1. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है किः– **Previous Complaint no for request for check meter is.-20604260384. Still not any confirmation received from department,**

2. विपक्षी / विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र दिनांकित 20.03.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता के आवेदन के आधार पर चैक मापक स्थापित करने हेतु निवेदन पंजीकृत किया गया है, परन्तु उपभोक्ता द्वारा इस सम्बन्ध में अभी तक आवश्यक धनराशि जमा नहीं की गयी है। उपभोक्ता के इस सम्बन्ध में विवरण की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

3. परिवादी द्वारा दिनांक 30.04.2026 को कहा गया कि **Sir, necessary payment has been completed on 24 Apr 26. Receipt attached with this mail. Please do the needful,**

4. विपक्षी / विभाग द्वारा दिनांकित 05.05.2026 को अपनी आख्या में कहा गया कि उपभोक्ता के आवेदन के आधार पर उनके परिसर पर दिनांक 03.05.2026 को चैक मापक स्थापित किया गया है। मापक की सीलिंग प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

5. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी / विभाग द्वारा परिवादी की चैक मापक संबंधी से संबंधित शिकायत का निराकरण कर दिया गया है। अतः वाद को आगे चलाए जाने का कोई औचित्य

नहीं है। विपक्षी/विभाग को निर्देशित किया जाता है कि चैक मापक रिर्पोट में यदि परिवादी के मीटर में कोई विचलन पाया जाता है तो नियमानुसार समायोजन प्रदान कर दिया जाये।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः—07.05.2026

07/05/2026
(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

07/05/2026
(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्‌घोषित।
दिनांकः—07.05.2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

07/05/2026
(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी, जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया,सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–04202604230001
पंजीकरण तिथि–24.04.2026
निर्णय तिथि– 19.05.2026

विद्या पवार परिवादी
खीमपुर गैबुआ खास
बैलपड़ाव, रामनगर
जिला–नैनीताल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
रामनगर।

निर्णय

1. परिवादी द्वारा **CGRF, Complaint** पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत प्रस्तुत करते हुये कहा गया है कि **"Regarding the cause of the phase issue from the transformer/electricity pole."**
2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 11.05.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता के परिसर में केबिल की समस्या थी, जिसे दुरस्त कर समस्या का समाधान कर दिया गया है।
3- परिवादी द्वारा ईमेल के माध्यम से प्रस्तुत प्रतिउत्तर/संतुष्टि पत्र दिनांकित 14.05.2026 में कहा गया है कि **"Thanku for your necessary action in this case. The problem has been resolved."**
4. मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र के अवलोकन व परिवादी के संतुष्टि पत्र से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का निराकरण कर दिया गया है। जिस कारण वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के व परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः– 19/05/2026

(हिमांशु बहुगुणा) सदस्य (उपभोक्ता)	(तिलक राज भाटिया) सदस्य (तकनीकी)	(विष्णु प्रसाद डोभाल) सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः– 19/05/2026

(हिमांशु बहुगुणा) सदस्य (उपभोक्ता)	(तिलक राज भाटिया) सदस्य (तकनीकी)	(विष्णु प्रसाद डोभाल) सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी, जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया,सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–04202604250001
पंजीकरण तिथि–25.04.2026
निर्णय तिथि– 04.05.2026

परिवादी

राम सिंह
पनियाली, कठघरिया
जिला–नैनीताल।

बनाम

विपक्षी

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
कमलवागांजा, हल्द्वानी।

निर्णय

1.परिवादी द्वारा CGRF, Complaint पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत प्रस्तुत करते हुये कहा गया है कि "**There is no light in meter from this morning Recrntly I have replaced my meter with smart meter please resolve the issue at earliest.**"

2.विपक्षी / विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 04.05.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता की शिकायत के आधार पर विद्युत समस्या का निवारण करा दिया गया है। माननीय फोरम से निवेदन है कि उक्त वाद को निरस्त करने करने क कष्ट करें।

3.परिवादी द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से प्रस्तुत प्रतिउत्तर / संतुष्टि पत्र दिनांकित 04.05.2026 में कहा गया है कि "**My issue is resolved, Please close the related.**"

4.मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों / अभिलेखों का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र के अवलोकन व परिवादी के संतुष्टि पत्र से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का निराकरण कर दिया गया है। जिस कारण वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के व परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः– 04 / 05 / 2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः– 04 / 05 / 2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरमः–

1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया, सदस्य (तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–04202605110001
पंजीकरण तिथिः– 11.05.2026
निर्णय की तिथिः– 22.05.2026

देवकी देवी,
ईष्ट खेडा, गौलापार हल्द्वानी,
जिला–नैनीताल,

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
रामनगर

निर्णय

1. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है किः– **"The day new smart meter connection taken we are facing high bill in every month. Its domestic connection and our usagse are also minimal. Please check the same on priority do the needful in this regard I."**

2. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया है कि उपभोक्ता के बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार उनके बिल एम०यू० आधारित निर्मित है। उपभोक्ता परिसर पर दिनांक 05.05.2026 को चौक मापक स्थापित किया गया, जिसकी अंतिम रिपोर्ट दिनांक 18.05.2026 के अनुसार दोनो मापकों की रीडिंग/खपत में कोई अन्तर नहीं पाया गया। मापकों की सीलिंग रिपोर्ट एवं अन्तिम रीडिंग रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।

1. परिवादी द्वारा दिनांकित 21.05.2026 को दूरभाष के माध्यम से अवगत कराया गया है कि विभाग द्वारा उसकी समस्या का समाधान कर दिया गया है। अतः मेरी वाद की कार्यवाही समाप्त कर दी जाय।

3. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी/विभाग द्वारा परिवादी की बिलिंग से संबंधित शिकायत का निराकरण कर दिया गया है। अतः वाद को आगे चलाए जाने का कोई औचित्य नहीं है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–22.05.2026

22/05/26

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।
दिनांकः–22.05.2026

22/05/26

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी, जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया,सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–04202605110002
पंजीकरण तिथि–13.05.2026
निर्णय तिथि– 19 .05.2026

प्रमोद कुमार जोशी
8 / 186 ऐशबाग
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड(नगर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
तिकोनिया, हल्द्वानी।

विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा CGRF, Complaint पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत प्रस्तुत करते हुये कहा गया है कि **"Today I got my electricity bill but there is more difference between metered reading by meter reader and actual reading in metre so please correct this bill picture is also attached with this complaint."**
2. विपक्षी / विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 11.05.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता के परिसर पर मापक की दिनांक 15.05.2026 को रीडिंग की जांच करने पर रीडिंग 68410 पायी गयी, जिसके अनुसार उपभोक्ता का बिल संशोधित किया गया है। संशोधित बिल की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

3- परिवादी द्वारा ईमेल के माध्यम से प्रस्तुत प्रतिउत्तर / संतुष्टि पत्र दिनांकित 16.05.2026 में कहा गया है कि **"My complaint hand has been resolved please close the grievance thank you."**

4. मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों / अभिलेखों का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र के अवलोकन व परिवादी के संतुष्टि पत्र से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का निराकरण कर दिया गया है। जिस कारण वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के व परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः— 19-05-2026

19/05/26 19/05/26

(हिमांशु बहुगुणा) (तिलक राज भाटिया) (विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता) सदस्य (तकनीकी) सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः— 19-05-2026

19/05/26

(हिमांशु बहुगुणा) (तिलक राज भाटिया) (विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता) सदस्य (तकनीकी) सदस्य (न्यायिक)

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL FORUM
KUMAOUN ZONE, HALDWANI

Case No.:04202605150001
Shri/Smt. Mamta Rajput **V/S** **Executive Engineer..Haldwani(R)**

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next Date
	18/05/2026	**आदेश** विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच हल्द्वानी, के ऑन लाइन पोर्टल के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई। अवलोकित। पंजीकृत। परिवादी द्वारा दिनांक 11.05.2026 को वाद संख्या–04202605080001 ऑन लाइन पोर्टल पर यही शिकायत दर्ज करायी जा चुकी है। जिस पर कार्यवाही गतिमान है। परिवादी द्वारा पुनः दिनांक 15.05.2026 को वही शिकायत ऑन लाइन पोर्टल पंजीकृत की गयी, जिसे निरस्त करते हुये मंच कार्यालय द्वारा सूचना **CGRF**, पोर्टल पर भी उपलब्ध करायी गयी है। पुनः दिनांक 15.05.2026 को परिवादी द्वारा ऑन लाइन पोर्टल पर **Case No**–04202605150001 पंजीकृत किया गया है। चूंकि **Case No**–04202605080001 वर्तमान में मंच में विचाराधीन है व परिवादी द्वारा पंजीकृत की गयी समस्त शिकायतें एक ही है। अतः इस शिकायत संख्या–04202605150001 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। दिनांक 18.05.2026 18/05/26 (हिमांशु बहुगुणा) सदस्य (उपभोक्ता) (तिलक राज भाटिया) सदस्य (तकनीकी) (बिष्णु प्रसाद डोभाल) सदस्य (न्यायिक)	**Dispost off**